जावक कमांक 2391

दिनांक 06/3/2017

रूप दो

(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

क्रमांक संभाग–रायपुर / जिला–धमतरी / पं0कं0–36036

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....................एल्युमनी एसोसिएशन बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी समिति जो ....द्वारा – बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी तहसील ....धमतरी..............जिला................धमतरी...........छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (का कमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 06 / 03 / 2017.......... को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

(आर.आर. राजभान)

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार 6/3/17

सोसायटियों के रजिस्ट्रार

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ, रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़

6.2.2

पदेन सचिव
डॉ.चन्द्रशेखर चौबे

अध्यक्ष
मान. डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव

सदस्य
श्री शरद लोहाना

पदेन उपाध्यक्ष
एस.डी.एम.
(कलेक्टर प्रतिनिधि)

स्थानीय प्रबंधन समिति

(जनभागीदारी समिति)

सांसद प्रतिनिधि
श्री विजय साहू

विधायक प्रतिनिधि
श्री भरत सोनी

सदस्य
श्री मदन मोहन खंडेलवाल

सदस्य
श्री राजेन्द्र लुकंड़

सदस्य
श्रीमती कविता योगेश बाबर

सदस्य
श्री घनश्याम साहू

सदस्य
श्री पी.वी. पराडकर

सदस्य
श्री राजेन्द्र लुकंड़

सदस्य
श्री सोमेश मेश्राम

पदेन सदस्य
प्राचार्य
शा.बा.उ.मा.वि.धमतरी

Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

1. सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

3. महाविद्यालय–परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय–परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन–निर्वाह करेगा।

6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।

7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

9. महाविद्यालय–परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

2. *अध्ययन संबंधी नियम*

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षो, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

3. *परीक्षा सम्बन्धी नियम*

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

4. *महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र*

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

Principal
B.C.S. Govt. P. G. College
Dhamtari (C.G.)

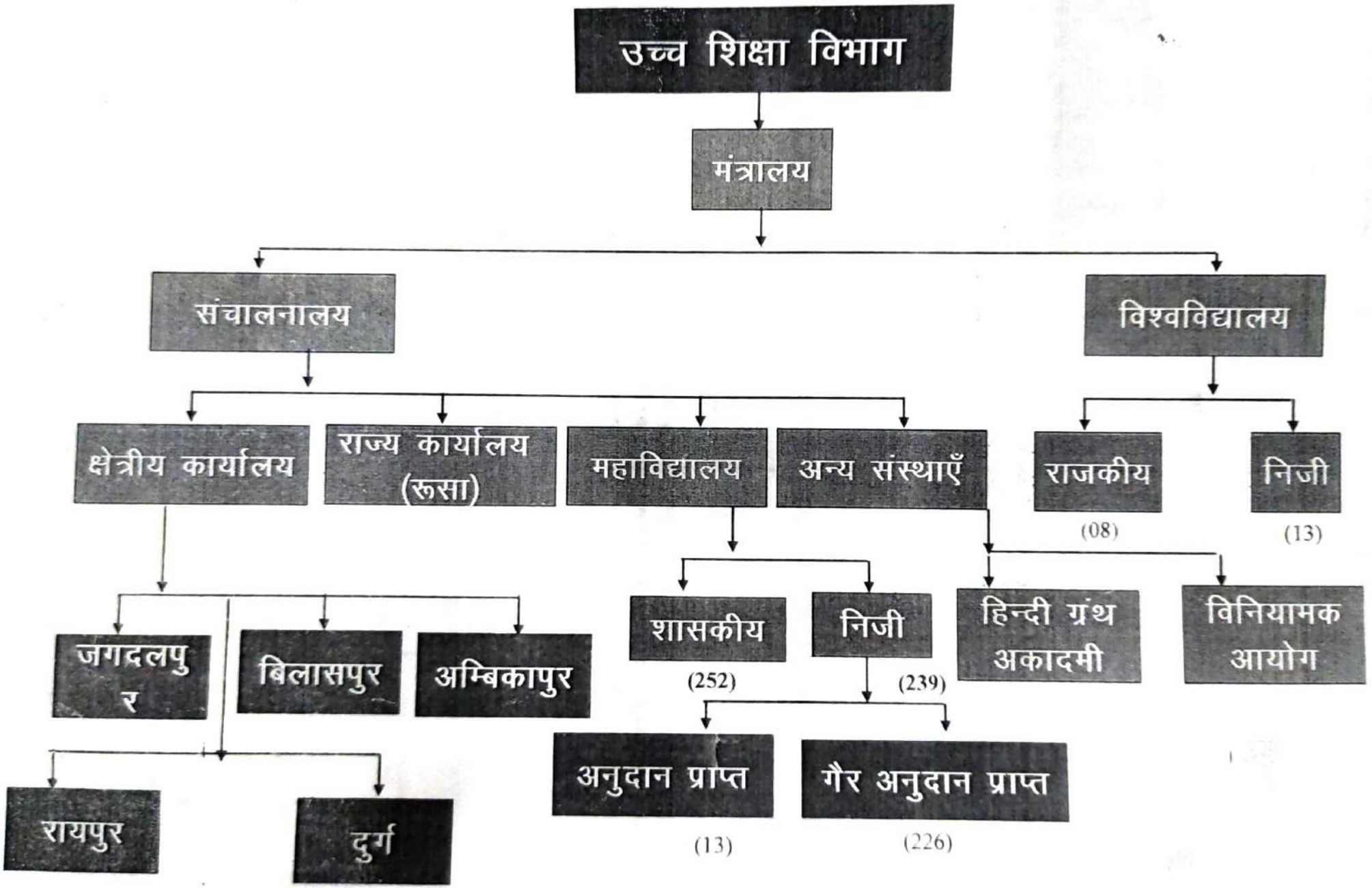
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
संचालनालय
विश्वविद्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
राज्य कार्यालय (रूसा)
महाविद्यालय
अन्य संस्थाएँ
राजकीय
(08)
निजी
(13)
जगदलपुर
बिलासपुर
अम्बिकापुर
शासकीय
(252)
निजी
(239)
हिन्दी ग्रंथ अकादमी
विनियामक आयोग
रायपुर
दुर्ग
अनुदान प्राप्त
(13)
गैर अनुदान प्राप्त
(226)

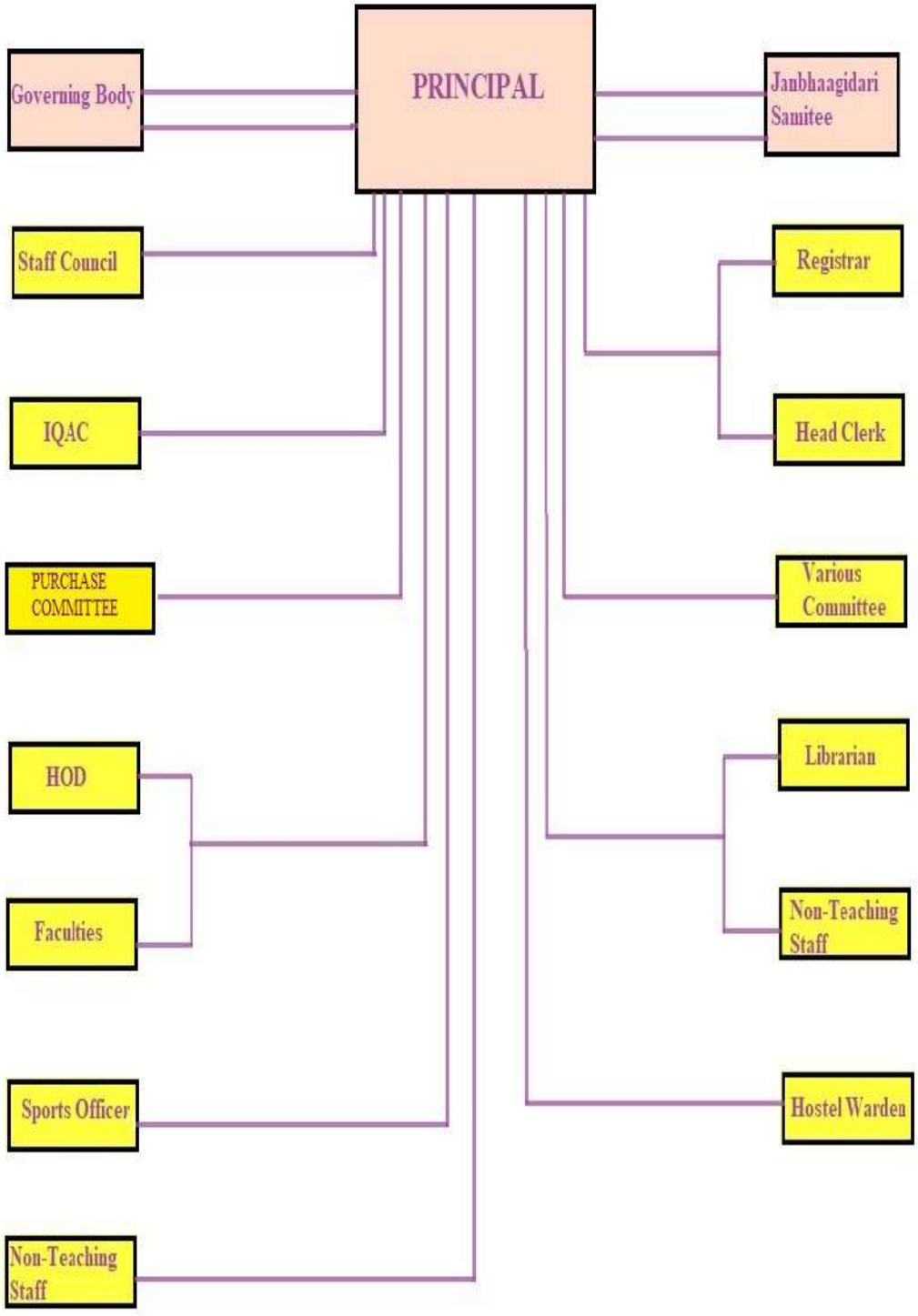
PRINCIPAL
Governing Body
Janbhaagidari Samitee
Staff Council
Registrar
IQAC
Head Clerk
PURCHASE COMMITTEE
Various Committee
HOD
Librarian
Faculties
Non-Teaching Staff
Sports Officer
Hostel Warden
Non-Teaching Staff